कार्यालय : मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 में निहित प्राविधानों तहत सचिव उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद रूड़की के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त चयन सूची के सापेक्ष स0अ0एल0टी0 स्नातक वेतनक्रम में नियुक्ति हेतु निम्नलिखित विषयों में Y क्षेत्र के विद्यालयों में पद रिक्त न होने के कारण उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली–2013 (यथासंशोधित) के नियम–08 में निहित व्यवस्थानुसार निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवा–2/अराज0/8587/2015–16 दिनांक 15 जून, 2016 द्वारा प्राप्त अनुमति के क्रम में मण्डलान्तर्गत Y क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को X क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पदों पर नीचे दिये गये विवरणानुसार काउंसिलिंग के माध्यम से समायोजित/स्थानान्तरित किया जाना है। सम्बन्धित विषय में Y क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों की सूची विभागीय वैबसाईट www.schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड कर दी गयी है।

क्र.स.	संवर्ग का नाम	विषय का नाम	Y क्षेत्र से X क्षेत्र में समायोजित/स्थानान्तरित किये जाने वाले शिक्षकों की संख्या	काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित शिक्षकों की संख्या
01	02	03	04	05
01–	सामान्य	समान्य	57	**सूची के क्रमांक 01 से 100 तक**
02–	महिला	सामान्य	18	**सूची के क्रमांक 01 से 25 तक**
03–	महिला	गणित	12	**सूची के क्रमांक 01 से 18 तक**
04–	महिला	हिन्दी	03	**सूची के क्रमांक 01 से 08 तक**
05–	महिला	संगीत	03	**सूची के क्रमांक 01 से 08 तक**
06–	महिला	अंग्रेजी	01	**सूची के क्रमांक 01 से 04 तक**

अतः इस विज्ञप्ति के माध्यम से विभागीय वैबसाईट पर प्रदर्शित सूची के अनुसार उपरोक्त शिक्षकों को दिनांक 20 जून, 2016 की प्रातः 11.00 बजे रा0इ0का0 नैनीताल में काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है। यहां पर यह स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाता है कि समायोजन/स्थानान्तरण मात्र उपरोक्त स्तम्भ–04 में अंकित संख्यानुसार ही किये जाने हैं। संख्या से अधिक मात्रा में शिक्षकों को काउंसिलिंग हेतु इस कारण से आमंत्रित किया जा रहा है कि यदि कोई शिक्षक समायोजन/स्थानान्तरण हेतु अपनी असहमति जाहिर करता है तो उसके स्थान पर नीचे क्रमांक के अभ्यर्थी को X क्षेत्र में समायोजन/स्थानान्तरण का अवसर प्रदान किया जायेगा। काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित समस्त शिक्षक/शिक्षिकाएं को काउंसलिंग में अपना नवीनतम् अध्यापक विवरण (सेवा गुणांक) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृ0सं0/सेवाएं–3क(2)/अराज0/ 1932-34 /2016–17 दिनांक 16 जून, 2016

प्रतिलिपि प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01–निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

02–पर्यवेक्षक/मण्डलीय अपर निशिक प्रारम्भिक शिक्षा कमाऊँ मण्डल नैनीताल।

03–सम्पादक ....को इस आशय के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को अपने दैनिक समाचार पत्र में ~~उत्तराखण्ड~~ कुमाऊँ संस्करण में न्यूनतम दरों में प्रकाशित करते हुए बिल द्वो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)